कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय - आदेश

....
जे० वी०,एम० स्कूल .... को (~~हिन्दी माध्यम~~/अंग्रेजी माध्यम) ~~राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल~~ NCERT के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता शैक्षिक सत्र 2002-03 .... से प्रदान की जाती है। संस्था प्रधान को निर्देश दिये जाते है कि आप नवीन मान्यता नियम 1993 के परिशिष्ट 2 में दिये गये शेष समस्त प्रावधानों की पूर्ति करेंगे। नवीन निर्देशों के तहत यदि आवश्यक समझा गया तो मान्यता के सम्बन्ध में विद्यालय का निरीक्षण कर सकते है।

शर्ते :

1. कक्षा कक्ष अनुसार शत-प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जावें। नियुक्ति के समय विभागीय प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जावें।
2. प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या बढ़ायी जावें।
3. कार्यरत कर्मचारियों को राजकीय नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा प्रदान की जावें।
4. आय-व्यय विवरण सी.ए. से प्रमाणित कराकर प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जावें।
5. भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रतिवर्ष दिये जावें।
6. ....
7. ....

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्रार/जय/सा-5/फ डि. 45 / 529/2002 दिनांक : 31.5.02

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), जयपुर संभाग, जयपुर
2. संबंधित अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी/सांख्यिकी शाखा स्थानीय कार्यालय।
3. सचिव, जे० वी० एम० स्कूल 396 उद्योग नगर .... जिला मं० सैक्टर मोहनबाड़ी जयपुर ....
4. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर–प्रथम, जयपुर

उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सत्र 2009–10

क.स.	नाम विद्यालय	माध्यम
1	श्री मुरलीमनोहर पब्लिक स्कूल, मुकन्दपुरा, नृसिंहपुरा	हिन्दी
2	हैप्पी पाईन्ट स्कूल 6/93 विधाधरनगर, जयपुर	अंग्रेजी
3	राजाराम उ.प्रा.वि. रूपपुरा (खिजूरिया) जयपुर	हिन्दी
[illegible]	जे0वी0एम0 स्कूल, 396 उधोग नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर	अंग्रेजी

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर–प्रथम, जयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/अ–4/21313/वो–I/2008–09 दिनांक 23.07.09 की अनुपालना में सत्र 2009–10 में गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु निम्नांकित शर्तों के तहत क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1–सत्र 2008–09 में कक्षा 9 एवं सत्र 2009–10 में कक्षा 10 प्रारम्भ करनी होगी।

2–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के मान्यता (सम्बद्वता) सम्बन्धित नियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।

3–विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी अनुदान की मांग नहीं की जावेगी।

4–विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

5–राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाऐ/अभिलेख उपलब्ध कराने होगे।

6–राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।

संलग्न – सूची

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जयपुर प्रथम, जयपुर

क्रमांक:–जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा–5/फा–मान्यता/1450/09–10 दिनांक 29.7.09

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1–उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3–सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
4–सम्बन्धित संस्था ——————————————————
5–रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर–प्रथम, जयपुर

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर के पत्रांक प. 9(2)/शिक्षा–5/2005 दिनांक 01.07.2009 की अनुपालना में निम्नांकित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त शुल्क व विलम्ब शुल्क रूपये 25000/– (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) जमा करवाये जाने पर एवं वर्तमान प्रावधान में शिथिलता प्रदान कते हुए इसी शैक्षिक सत्र 2009–10 में उनके नाम के सम्मुख अंकित कक्षा प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क.सं.	नाम विद्यालय	कक्षा जिसके संचालन की स्वीकृति दी गई है
1	जे.वी.एम. स्कूल, 346, उद्योगनगर, सिवाड़ रोड झोटवाड़ा जयपुर	कक्षा – 10 (अंग्रेजी माध्यम)

sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
जयुपर–प्रथम, जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा–5/1562/09 दिनांक 31.7.09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
3. शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5), राज0 सरकार, जयपुर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज0 अजमेर।
5. सम्बन्धित संस्था सचिव/प्रधान।
6. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
जयुपर–प्रथम, जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम जयपुर ।

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य /मा/अ–4/21313/वो–II/2010–11 दिनांक 21.5.2010 के द्वारा नीचे अंकित गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्तावों का अनुमोदन किये जाने पर, अनुपालना में नीचे अंकित गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सत्र 2010–11 में उच्च माध्यमिक स्तर पर निम्नांकित शर्तो के तहत् क्रमोन्नति की स्वीकृत प्रदान की जाती है:–

1. सत्र 20010–11 में कक्षा–11 एंव सत्र 2011–12 में कक्षा–12 प्रारम्भ करनी होगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के मान्यता(सम्बद्धता) संबधित विनियमों की पालना करनी होगी एंव बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र(प्रपत्र क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जावेगी।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशो/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एंव वांछित सूचनाऐ/अभिलेख उपलब्ध कराने होगें।
6. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एंव नियम 1993 की पालना करनी होगी।

संलग्न–सूची

जिला शिक्षा अधिकारी(मा)
जयपुर प्रथम, जयपुर।

क्रमांक:–जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा–5/फा–मान्यता/2010–11/571-600 दिनांक 24.5.2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकारी जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
4. संबधित संस्था......जे की एम.सी.सै. स्कूल भोजपुरा
5. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय
6. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(मा)
जयपुर प्रथम, जयपुर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय आदेश

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग जयपुर के पत्रांक प.9(2) शिक्षा–5/05 दिनांक 21.7.2010 एव निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/माध्यमिक/अ–4/21313/भूल/10–11 दिनांक 22.7.2010 की अनुपालना में निम्नांकित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त शुल्क 15000/–(अक्षरे:– पन्द्रह हजार रुपये मात्र) जमा कराये जाने के फलस्वरूप शैक्षिक सत्र 2010–11 में उनके नाम के सम्मुख अंकित कक्षा प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	नाम विद्यालय	कक्षा जो प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जा रही है
1	लील इन्टरनेशनल एकेडमी, वरोडी, झोटवाडा, जयपुर	कक्षा–10
2	मॉडर्न हैरिटेज प0 स्कूल संस्थान, ब्लॉक जगदम्बा नगर, अजमेर रोड,जयपुर	कक्षा–10
3	जे.वी.एम.सी0सै0 स्कूल, निवारू रोड, जयपुर	कक्षा–12

Sd/
जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
जयपुर प्रथम, जयपुर

क्रमांक:–जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा–5/फा–क्रमोन्नति/136265/10 दिनांक 20.08.2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
4. संबंधित संस्था सचिव/मंत्री
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
जयपुर प्रथम,जयपुर

माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सत्र 2010–11

क.सं	विद्यालय का नाम	माध्यम	संकाय मय ऐच्छिक विषय
1.	न्यू डायमण्ड चिल्ड्रन्स एकेडमी सै0स्कूल, 17 शिव विहार, विश्वकर्मा रोड–6, जयपुर	हिन्दी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर कला:– इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, चित्रकला, गृह विज्ञान, राज0 विज्ञान, समाजशास्त्र,
2.	निशि विद्या मन्दिर सै0 स्कूल, हीरापुरा, जयपुर	हिन्दी	विज्ञान:– भौतिक, रसायन, गणित वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, टंकण, कम्प्यूटर कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर
3.	अर्चना चिल्ड्रन्स एकेडमी सै0स्कूल सिरसी, जयपुर	हिन्दी	विज्ञान:– भौतिक, रसायन, गणित, जीव वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, चित्रकला, इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, लोक प्रशासन
4.	दूदू पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, दूदू, जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान,
5.	माँ शाकम्भरी माध्यमिक विद्यालय, कोरसीना, दूदू, जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, चित्रकला
6.	श्री हेमा पब्लिक सै0 स्कूल, 8 कृष्णा नगर, आगरा रोड, जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, चित्रकला, कम्प्यूटर वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, कम्प्यूटर विज्ञान
7	ममता पब्लिक सै0 स्कूल, 40 हसराज नगर, विजयपुरा, जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास, हिन्दी साहित्य, चित्रकला
8.	विद्या भवन पब्लिक सै0 स्कूल 84 गणेश विहार, आगरा रोड जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, चित्रकला, अर्थशास्त्र वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, कम्प्यूटर विज्ञान
9.	जगदीश पब्लिक सै0 स्कूल, सदर बाजार, दूदू, जयपुर	हिन्दी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, कम्प्यूटर विज्ञान
10.	पवन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, मौजमाबाद, दूदू, जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, कम्प्यूटर विज्ञान

11.	ड्राईडन पब्लिक सै0 स्कूल, हसनपुरा–ए, जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास, चित्रकला, लोक प्रशासन, वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, कम्प्यूटर विज्ञान, टंकण
12.	एकता माडॅन सै0 स्कूल, खातिपा, गोनेर रोड, जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, चित्रकला, कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, समाजशास्त्र, वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, गणित, टंकण
13.	न्यू त्रिमूर्ति विद्या निकेतन सै0 स्कूल 70 मंगल विहार, आगरा रोड,जयपुर	हिन्दी	कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर
14.	ऋषि विद्या मंदिर सै0 स्कूल, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर	हिन्दी	विज्ञान:– भौतिक, रसायन, गणित वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, कला:– राज0विज्ञान, गृहविज्ञान, इतिहास, हिन्दी साहित्य
15.	जागृति विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान, 396 उद्योगनगर, निवारू रोड, जयपुर	अंग्रेजी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर कला:– राज0विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, चित्रकला, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, गणित
16.	ज्ञान ज्योति सैकेण्डरी स्कूल 151,वनेविहार कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर	हिन्दी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, टंकण कम्प्यूटर कला:– हिन्दी साहित्य,संस्कृत साहित्य, इतिहास, उर्दू साहित्य,राज0 विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, चित्रकला, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन
17.	सावेश्वर पब्लिक मा. वि. सावरदा, दूदू	हिन्दी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र व्यवसायिक प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, कला:– हिन्दी साहित्य,, राज0 विज्ञान, भूगोल,
18.	गगन भारती पब्लिक सैकेण्डरी स्कूल 690 सुमेरनगर जयपुर	हिन्दी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र व्य. प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, टंकण, कम्प्यूटर कला:– हिन्दी साहित्य,अंग्रेजी साहित्य, इतिहास राज0 विज्ञान, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र
19.	नेशनल डवलपमेन्ट सै. स्कूल 47–49 फूल कॉलोनी सांगानेर	हिन्दी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव. प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0 गणित एवं सांख्यिकी, टंकण ,कम्प्यूटर कला:– हिन्दी साहित्य,संस्कृत साहित्य, राज0 विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, अर्थ शास्त्र ,इतिहास
20.	भवानी निकेतन बाल मा. विद्यालय,ग्राम मांजमाबाद,जयपुर	हिन्दी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, कला:– इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन
21.	माध्यमिक आर्दश विद्यामंदिर चाकसू जयपुर	हिन्दी	वाणिज्य:– लेखाशास्त्र, व्यव0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर कला:– हिन्दी साहित्य,संस्कृत साहित्य, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य,राज0 विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, अर्थशास्त्र,

22.	सरस्वती बाल शिक्षा निकेतन चोबारा, दूदू जयपुर	हिन्दी	कृषि :– शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन व दुग्ध विज्ञान,जीव विज्ञान,रसायन विज्ञान
23.	राधा बाल भारती सै. स्कूल ऋतुविहार विजयपुरा रोड जयपुर	हिन्दी	वाणिज्यः– लेखाशास्त्र, व्यय0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यान, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर कला:– हिन्दी साहित्य, इतिहास, राज0 विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, चित्रकला, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर
24.	आर. एन. आई. मेमोरियल प. सै स्कूल 26,गणेशविहार , रखोपुर सांगानेर जयपुर	हिन्दी	वाणिज्यः– लेखाशास्त्र, व्यय0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वितिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर कला:– हिन्दी साहित्य, इतिहास, राज0 विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, चित्रकला, संस्कृत साहित्य
25.	जगदम्बा पब्लिक सैकेण्डरी स्कूल, गोनेर जयपुर	हिन्दी	वाणिज्यः– लेखाशास्त्र, व्यय0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी कला:– इतिहास, राज0 विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र,
26.	ग्लोबल पब्लिक सैकेण्डरी स्कूल, भालपुरा रोड, दूदू	हिन्दी	वाणिज्यः– लेखाशास्त्र, व्यय0 प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तिय अध्यन, व्य0गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर कला:– हिन्दी साहित्य,संस्कत साहित्य, राज0 विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र,

जिला शिक्षा अधिकारी(मा)
जयपुर प्रथम, जयपुर।

RTE MANYATA

(0069)

प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा–5/फा–मान्यता/झोट./0069/2012 दिनांकः–5/10/12

संस्था सचिव

जे०वी० एम० सी० सै० स्कूल

उद्योगनगर निवारु रोड ~~झोटवाड़ा~~

जयपुर

विषयः– नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विघालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक .... और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० शि० जयपुर (विद्यालय का नाम और पता) जे० वी० एम० सी० सै० स्कूल, उद्योगनगर निवारु रोड झोटवाड़ा को 01.4.12 से ——— तक ~~तीन वर्ष~~ की कालावधि के लिए कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के लिए ~~अस्थायी~~ मान्यता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।

2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्दीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विधालय, कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

2

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या असके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

(i) विद्यालय मे प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :- (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र-प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र

- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल–कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं।

13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

जे. पी. आर./झोट./आर.टी.ई./0069/दि.5.10.12

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड़ संख्या (RJ/BEEO/JH/JPR/2012-13/..............) हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिचित करें।

17. अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

ब्लॉक प्रार. शिक्षा अधिकारी
झोटवाड़ा (जयपुर)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर ।

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा–माध्य/मा/अ–4/21313/दो–II/2010–11 दिनांक 21.05.2010 के द्वारा अनुमोदित इस कार्यालय के आदेश कमांक जिशिअ/मा/जय/लेखा–5/फा–मान्यता/2010–11/571–600/ दिनांक 24.5.10 में कम संख्या 15 पर अंकित जागृति विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान के स्थान पर जे.वी.एम.सी0सै0 स्कूल, निवारू रोड, जयपुर संशोधित किया जाता है। शेष शर्तें पूर्व आदेश के अनुसार यथावत रहेगी।

Sd/
जिला शिक्षा अधिकारी(मा)
जयपुर प्रथम जयपुर।

कमांक–जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा–5/फा–मान्यता/2010–11/ 1359 दिनांक 20/8/10
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
4. संबंधित संस्था..
5. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय
6. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(मा)
जयपुर प्रथम जयपुर।

PRINCIPAL (112…7)
J.V.M. Sr. Sec. Sch…
Jhotwara, JAIPUR-12

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश/पत्रांक – शिविरा–मा/माध्य/अ–2/21315/2016–17 दिनांक 25.08.2016, 26.08.2016 एवं 06.09.2016 की अनुपालना मे निदेशालय द्वारा अनुमोदन के अधीन संलग्न सूची मे अंकित गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयो को नीचे वर्णित शर्तो पर सत्र 2016–17 से उच्च माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त संकाय/विषय की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है –

क्र.स.	विद्यालय का नाम	माध्यम	स्वीकृत संकाय	स्वीकृत विषय
01	जे. डी. एम. सी. सैकण्डरी स्कूल, 396 उद्योग नगर, निवारू रोड, जयपुर	अंग्रेजी	विज्ञान	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित

शर्ते:–

01. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करना होगी।
02. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र--क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
03. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मॉंग नहीं की जावेगी।
04. विद्यालय का नाम /भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
05. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशो/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनायें/अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
06. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले मे राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है। अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
जयपुर प्रथम,जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/मा./जय/प्रथम/लेखा–5/फा–मान्यता(16–17) अतिरिक्त संकाय/विषय/1270 दिनांक 22.3.17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

01. व.उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
02. निदेशक,मा0 शिक्षा राज0 बीकानेर को उनके पत्र दिनांक 25.08.2016, 26.08.2016 एवं 06.09.2016 की अनुपालना मे अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
03. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
04. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
05. सम्बन्धित संस्था [illegible]
06. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली। [illegible]

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
जयपुर प्रथम,जयपुर